राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1586/2011/उदयपुर

मैसर्स बालाजी कन्ट्रक्शन कम्पनी
उदयपुर

अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर

..प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थित : :
श्री वी.के. पारीक
अभिभाषक
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

.प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक :06.03.2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त(अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **अपीलीय अधिकारी** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 19/वैट/10–11 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 82 सपठित द राजस्थान टैक्स आन इन्ट्री आफ मोटर व्हीकल इन टू लोकल एरिया एक्ट, 1988 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 15.04.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी एक पंजीकृत ठेकेदार है और उसके द्वारा राज्य के बाहर से डम्पर/टीपर मंगवाये गये हैं । उक्त डम्पर/टीपर्स का प्रयोग अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्वयं के कार्य में कर रहा है किन्तु सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर(जिसे आगे "**सशक्त अधिकारी**" कहा जायेगा) ने उक्त डम्पर/टीपर्स की बिक्री मानकर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण करते हुए आदेश दिनांक 12.03.2010 पारित किया है, जबकि उसके द्वारा डम्पर/टीपर्स का विक्रय नहीं किया गया है। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्ति को अपास्त करते हुए प्रवेश कर को यथावत रखते हुए अपंजीकृत खरीद पर वाद प्रतिप्रेषित किया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि द राजस्थान टैक्स आन इन्ट्री आफ मोटर व्हीकल इन टू लोकल एरिया एक्ट, 1999 के

लगातार.....2

अन्तर्गत प्रवेश कर जमा करवा दिया गया है, इसिलए दोहरा करारोपण नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कर जमा होने के आधार पर ब्याज माफ करने का निवेदन किया। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2011 का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष की बहस पर विचार किया गया एवं उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.01.2013 का अवलोकन किया गया। रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने अपीलार्थी द्वारा अपंजीकृत खरीद का ठेका कार्य में प्रयुक्त किये जाने बाबत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है। प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने के पश्चात कर बोर्ड स्तर पर कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

6. अतः प्रतिप्रेषण के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करें।

7. निर्णय सुनाया गया ।

(मदल लाल मालवीय)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष